

THE JHARKHAND GAZETTE

EXTRAORDINARY PUBLISHED BY AUTHORITY

No. 773

28 Aashwin, 1938 (S) Ranchi, Friday, 20th October, 2017

COMMERCIAL TAXES DEPARTMENT

NOTIFICATION

18th October, 2017

- **S.O. No. 107 Dated 20**th **October, 2017--** In exercise of the powers conferred by sub-section (6) of section 39 read with section 168 of the Jharkhand Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017) and in supersession of S.O No. 78/2017-State Tax, dated the 19th September, 2017, published in the Jharkhand Gazette, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Commissioner, hereby extends the time limit for furnishing the return in **FORM GSTR-5A** for the month of July, 2017, August, 2017 and September, 2017 by a person supplying online information and database access or retrieval services from a place outside India to a non-taxable online recipient referred to in rule 64 of the Jharkhand Goods and Services Tax Rules, 2017, till the 20th day of November, 2017.
- 2. This notification shall be deemed to have come into force on the 15thday of September, 2017.

[File.No Va Kar / GST / 04/ 2017] By the order of the Governor of Jharkhand

K. K. Khandelwal,

Principal Secretary-cum Commissioner

वाणिज्य-कर विभाग

अधिसूचना 18 अक्टूबर, 2017

एस॰ ओ॰ 107 - दिनांक 20 अक्टूबर, 2017-- आयुक्त, झारखण्ड माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की धारा 168 के साथ पठित धारा 39 की उपधारा (6) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और झारखण्ड के राजपत्र, असाधारण, एस॰ ओ॰ 78 दिनांक 19 सितम्बर, 2017 द्वारा प्रकाशित अधिसूचना को, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 14 और झारखण्ड माल और सेवा कर नियम, 2017 के नियम 64 में निर्दिष्ट गैर कराधेय ऑनलाइन प्राप्तिकर्ता को भारत के बाहर किसी स्थान से ऑनलाइन सूचना और डाटाबेस पहुंच या पुनः प्राप्ति सेवा की आपूर्ति करने वाले व्यक्ति द्वारा जुलाई, 2017 अगस्त, 2017, सितंबर, 2017 के लिए प्ररुप जीएसटीआर-5 क में विवरणी प्रस्तुत करने की समय-सीमा का 20 नवंबर, 2017 तक विस्तार करते हैं।

2. यह अधिसूचना 15 सितंबर, 2017 को प्रवृत्त मानी जाएगी ।

[सं.सं .वा॰कर/जी॰एस॰टी॰/04/2017] झारखंड राज्यपाल के आदेश से,

> के॰ के॰ खण्डेलवाल, प्रधान सचिव-सह-आयुक्त ।
